20.09.13	यह वाद ग्राम मसमोहना के खाता–37/18, खेसरा–82, रकबा–0.92 एकड़ और खेसरा संख्या–11, रकबा–6.58 एकड़, कुल रकबा–7.50 एकड़ से संबंधित है। जमाबंदी सूरजनाथ बेदिया के नाम से संबंधित है। खतियान में जमीन गैरमजरूआ खास किस्म जंगल दर्ज है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ ने अपने पत्रांक 284 दिनांक 17.02.2006 के द्वारा यह प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि वन विभाग की अधिसूचित भूमि है और वन विभाग के कब्जे में है। अंचल अधिकारी, पतरातू, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़, अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ और अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी अवैध रूप से कायम है और जमाबंदी स्थापित होने का काई आधार नहीं दिया गया। वर्तमान वाद में प्रतिवादी सूरजनाथ बेदिया ने सादा हुकुमनामा की छायाप्रति और चंद सरकारी रसीद प्रस्तुत किये हैं। अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी के आधार पर जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रश्नगत भूमि वन भूमि है। जिसका स्वामित्व वन विभाग के अधीन है। वन भूमि को हड़पने के उद्देश्य से उत्तरवादी ने इसकी जमाबंदी कायम करा ली है और फर्जी हुकुमनामा और चंद रसीदों के आधार पर ये दावा कर रहे हैं। निबन्धन अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1)(b) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि 100/– रूपये से अधिक के मूल्य की भूमि का हस्तानान्तरण निबंधित दस्तावेज के माध्यम से होना है। वर्तमान मामले 7.50 एकड़ भूमि से संबंधित है, जिसका कोई निबंधित दस्तावेज नहीं है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह हुकुमनामा फर्जी है और जमीन हड़पने के उद्देश्य से बाद में बनाया गया है। वर्तमान वाद में उपलब्ध सभी कागजी दस्तावेजों और राजस्व पदाधिकारियों के आदेशफलक देखने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिवादी ने जाली हुकुमनामा और चंद सरकारी रसीदों के आधार पर अपनी जमाबंदी को सत्य बनाने का प्रयास किया है, परन्तु हुकुमनामा का कोई अनुपूरक साक्ष्य, जैसे जमींदारी रिटर्न आदि नहीं दिखाया गया और न लगान निर्धारण का कोई प्रमाण पत्र दिया गया। जमाबंदी रद्द करने के संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा 10.02.2009 को L.P.A. वाद संख्या–425/2006 जगदेव महतो बनाम् आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल में यह नियमन दिया गया है कि अगर जमाबंदी बिल्कुल अवैध हो या किसी अभिलेख पर आधारित नहीं हो तो वैसी जमाबंदी रद्द की जा सकती है। न्यायालय का आंशिक निर्णय नीचे अंकित है : "According to us if an order is found to have been passed by an authority having no jurisdiction or when such order is found to be absolutely illegal based on the apparent error on law or facts or when it is found to be perverse not based on record then certainly in such cases jamabandi running or standing in the name of a particular person can be cancelled by a competent authority but of course after giving proper notice and opportunity of haearing to the party who would be adversely affected."	

सभी राजस्व अधिकारियों के मंतव्य और प्राप्त अनुशंसा एवं वर्तमान वाद में उपलब्ध कागजातों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यह जमाबंदी भी संदेहास्पद है और इसे रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।